राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 749/2024

चतुर्भुज शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, भू–अभिलेख (राजस्व विभाग), राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. प्रसिडेंट भू राजस्व विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. मूलचन्द स्वामी, भू अभिलेख निरीक्षक, वृत्त पावटा, जिला जयपुर।
5. राजेश कुमार चौधरी भू अभिलेख निरीक्षक, अतिरिक्त कार्यालय कानूनगो, मनोहरपुरा, जिला जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 21.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से : श्री विजय कुमार जांगिड़, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन कर संशोधित अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4, जो भू–अभिलेख निरीक्षक वृत पावटा, जयपुर में कार्यरत है और निजी प्रत्यर्थी संख्या–5, अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो तहसील मनोहरपुरा, जयपुर में कार्यरत है, का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान वृत शाहपुरा, जिला जयपुर में कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.11.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वृत नीमूचाना नारायणपुर, अलवर से शाहपुरा जिला जयपुर किया गया था। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 25.11.2022

(अनुलग्नक–3) द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। आदेश दिनांक 22.02.2024 की पालना में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ने आदेश दिनांक 14.03.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा निजी प्रत्यथी संख्या–4 एवं अपीलार्थी को शाहपुरा में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। तहसीलदार शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) के आदेश दिनांक 14.03.2024 द्वारा अपीलार्थी को अपने वृत्त का चार्ज निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को दिए जाने के आदेश दिए गए। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.03.2024 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश प्रतिक्षाधीन तहसील कार्यालय शाहपुरा से ऑफिस कानूनगो शाहपुरा किया गया। निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने के लिए अपीलार्थी को पहले आदेशों की प्रतीक्षा में दिखाया गया और फिर आदेश दिनांक 15.03.2024 द्वारा ऑफिस कानूनगो में पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.03.2024 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी को ऑफिस कानूनगो शाहपुरा में कार्यरत कालूराम जाट से चार्ज लेने को कहा गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1), आदेश दिनांक 14.03.2024 (अनुलग्नक–4) एवं आदेश दिनांक 15.03.2024 (अनुलग्नक–5 एवं 6) को अपास्त किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से श्री हेमन्त धारीवाल उपस्थित। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की तरफ से केविएट प्रस्तुत की गई एवं श्री विजय कुमार जांगिड़ अधिवक्ता उपस्थित हुए।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1), आदेश दिनांक 14.03.2024 (अनुलग्नक–4) एवं आदेश दिनांक 15.03.2024 (अनुलग्नक–5 एवं 6) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। बहस में अपील में प्रस्तुत तर्कों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से निवेदन किया कि आलौच्य आदेश लोकहित में प्रशासनिक कारणों के आधार पर जारी किया गया है। अपीलार्थी के पदस्थापन आदेश जारी किए जा चुके है। अतः अपील खारिज करने अनुरोध किया। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की तरफ से निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर दो लोक सेवक पदस्थापित कर दिए थे परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर त्रुटि सुधार किया जा चुका है। अपीलार्थी की तरफ से प्रस्तुत अपील में इस तथ्य को छिपाया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 ने आदेशों की पालना में कार्यग्रहण कर लिया है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन पर दिनांक 25.11.2022 से पदस्थापित है (अनुलग्नक–3)। आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024

(अनुलग्नक–1) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के स्थान भू–अभिलेख निरीक्षक वृत शाहपुरा, जयपुर पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को पदस्थापित कर दिया परन्तु उसी दिन अन्य आदेश द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का स्थानान्तरण निरस्त कर त्रुटि सुधार किया जा चुका है। जिला कलक्टर जयपुर ने आदेश दिनांक 14.03.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को तहसील शाहपुरा में पदस्थापित किया जा चुका है एवं इसकी अनुपालना में उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा एवं तहसीलदार शाहपुरा द्वारा जारी आदेशों दिनांक 15.03.2024 (अनुलग्नक–5 एवं 6) द्वारा आदेश प्रसारित कर अपीलार्थी को ऑफिस कानूनगो तहसील शाहपुरा में पदस्थापित करने एवं भू अभिलेख निरीक्षक वृत शाहपुरा का चार्ज निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को सुर्पद करने के आदेश प्रसारित किए गये, जिसकी पालना में निजी प्रत्यर्थी वर्तमान पदस्थापन से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत कर चुका है। अपीलार्थी को भी शाहपुरा तहसील में ही ऑफिस कानूनगो के पद पर पदस्थापित किया गया है अर्थात उसी तहसील में पदस्थापित रखा गया है। आलौच्य स्थानान्तरण आदेशों द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात स्थानान्तरित किया गया है तथा इन आदेशों में किसी प्रकार की त्रुटि एवं नियम विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, प्रस्तुत प्रकरण में कोई दुर्भावना या निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने का तथ्य भी परिलक्षित नहीं होता है। इस कारण आलौच्य स्थानान्तरण आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य